कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय सीकर

नवलगढ पुलिया के पास, अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर, सीकर
Email Add. – eepwddn2sikar@rediffmail.com

क्रमांक 2192 दिनांक 17-03-2023

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता(पथ)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय :– Diversion of 6.35 ha of forest land in favour of Executive Engineer, PWD Div. II Sikar Rajasthan for renewal wideining & Strenghtening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village – Antri, Tehsil Dhod, District Sikar of Rajasthan
(ऑनलाईन क्रमांक – FP/RJ/ROAD/29601/2017)

प्रसंग :– श्रीमान उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) के पत्रांक 8बी/यूपी/06/06/2018/एफसी 938 दिनांक 18.08.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रिय, कार्यालय जयपुर लखनउ के पत्रांक 8बी/यूपी/06/06/2018/एफसी 938 दिनांक 18.08.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अन्तरिम स्वीकृति श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 14 () 2017/सीकर रोड्स/एफसी/प्रमुवस/2453 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा जारी की गई थी।

अतः प्रांसागिक पत्र द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन दिनांक 28.03.2018 की अनुपालना प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत धारा 2 के तहत स्वीकृति मांगी गई थी जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा उपवन संरक्षक अधिकारी सीकर को पत्रांक एवं 2190 दिनांक 17.03.2023 के तहत 3 बिन्दुओ के संबंध में चाही गई सूचना हेतु उक्त पत्रों से अवगत करवाया गया लेकिन आज दिनांक तक सूचना अपेक्षित है।

उक्त प्रकरण में श्रीमान उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) ने अपने पत्रांक 8B/UP/06/ 06/2018/FC दिनांक 18.08.2022 के द्वारा श्रीमान शासन सचिव(वन) सचिवालय जयपुर से निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। निम्न बिन्दुओं के संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है –

क्रसं0	चाही गई सूचना	विवरण
1.	Current status of mutatin of the non-forest land of CA along with copy of notification of the land as RF/PF shall be submitted	उप वन सरंक्षक, सीकर से संबंधित है।
2.	Status of Muck disposal or muck disposal scheme shall be submitted.	उक्त संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उप वन संरक्षक सीकर को भिजवाये हुए है जो संलग्न है।
3.	No Violation certificate of concerned Deputy Conservator of Forests shall be submitted.	प्रमाण–पत्र हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1612 दिनांक 15.12.2022, 1951 दिनांक 03.02.2023 द्वारा उप वन सरंक्षक सीकर को लिखा हुआ है प्रमाण पत्र प्राप्त होना अपेक्षित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

(गोपाल राम)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय सीकर

Dn ii/naveen/naveen dhod/ general letter

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर

क्रमांकः– 5013

दिनांकः– 10-02-22

श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
वृत्त सीकर।

विषयः–Diversion of 6.35 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, PWD Sikar Rajasthan for renewal, widening and strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF village -Antri, Tehsil-Dhod, District Sikar.
(Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/29601/2017

प्रसंगः–श्रीमान् उपवन संरक्षक, वन विभाग, सीकर के पत्रांक एफ ( ) एफसीए / उवसंसी / 2021–22 / 839 दिनांक 28.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / राज. / 06 / 06 / 2018 / एफसी / 938 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में कुछ शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1171–72 दिनांक 26.07.2021 द्वारा अनुपालना रिपोर्ट मय अण्डर टेकिंग श्रीमान् उपवन संरक्षक सीकर को भिजवाई गई थी। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु कैम्पा फण्ड में राशि रू. 50,71,110 / – जमा करवा दिये गये थे। उक्त कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है।

इस क्रम में निवेदन है कि उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में श्रीमान् उपवन संरक्षक सीकर द्वारा, खण्ड कार्यालय द्वारा प्रेषित अनुपालना रिपोर्ट की शर्त संख्या 6 की पालना में मक डिस्पोजल योजना हेतु प्रस्तुत अण्डर टेकिंग के अनुसार मक डिस्पोजल राशि रू. 7,04,343 / – वन विभाग में जमा करवाये जाने है जिसके अनुसार उक्त मक डिस्पोजल योजना एवं अण्डर टेकिंग के क्रम में सड़क निर्माण कार्य के दौरान वन क्षेत्र से निकले वन उपज (पत्थर एवं मलबा) की राशि 3,43,328 / – एवं रॉयल्टी एवं डीएमएफटी की निर्धारित राशि रू. 3,61,015 / – खनि अभियन्ता सीकर में जमा करवाने बाबत कुल राशि रू. 7,04,343 / – की मांग की गई है।

इस संबंध में उक्त कार्य के पेटे जारी तकनिकी स्वीकृति में कन्टीजेन्सी एवं क्यू.सी. चार्जेज के रूप में कुल राशि रू. 7,84,692 / – का प्रावधान निहित है। (संलग्न)

अतः महोदय से निवेदन है कि मक डिस्पोजल योजनान्तर्गत जमा करवाई जाने वाली कुल राशि रू. 7,04,343 / – की स्वीकृति कन्टीजेन्सी में प्रदान करने का श्रम करावें ताकि उक्त राशि निर्धारित मद में जमा करवा कर अनुपालना रिपोर्ट श्रीमान् उपवन संरक्षक, सीकर को प्रेषित की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(गोपाल राम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड, सीकर

MY DOCUMENT\Banwari ji \I/ BLSAINI28.10.2020

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड–सीकर

मक डिस्पोजल योजना

प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 है0 फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेथनिंग ऑफ सीकर–हर्ष रोड (ओडीआर–04) किमी. 8/750 टू 15/100 इन हर्षनाथ वन खण्ड वन मण्डल सीकर

वन मण्डल सीकर के अधीन प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 है0 फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग एण्ड स्ट्रेथनिंग ऑफ सीकर–हर्ष रोड (ओडीआर–04) किमी. 8/750 टू 15/100 इन हर्षनाथ पी.एफ. विलेज आंतरी, तहसील धोद, जिला सीकर प्रपोजल नं. FP/RJ/ROAD/29601/2017 में उक्त सड़क के सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण में हर्षनाथ पर्वतीय क्षेत्र में पहाड की कटाई आदि के कार्य में निकलने वाली सामग्री (चिनाई पत्थर/मलबा) (मक) के उपयोगी/अनुपयोगी होने तथा उसकी कीमत (मूल्य) निर्धारित करने के बारे में कमेटी के सदस्यों ने दिनांक 28.12.2017 को तय की थी।

किमी0 8/750 से 15/100 के मध्य में कुल 6350 मीटर लम्बाई एवं 10 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित सड़क में कुल 15 जगहो पर पहाड़ की कटिंग होगी। पहाड़ की कटिंग से कुल 4021 घन मीटर मलबा एवं चिनाई पत्थर निकलेगा। इसमें से 1327 घन मीटर पत्थर एवं 2694 घन मीटर मलबा निकलेगा।

कमेटी के निर्णय अनुसार वन उपज की कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गयी :–

क्र.सं.	वन उपज का नाम	मात्रा (घन मीटर में)	घनत्व (टन/घन मीटर)	वन उपज की मात्रा (टन में)	वन उपज की दर (प्रति टन)	राशि रूपये में
1	पत्थर	1327	2.6	3450.2	60.00	207012.00
2	मलबा	2694	2.2	5926.80	23.00	136316.00
					कुल राशि	343328.00

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड, सीकर

कमेटी के निर्णय अनुसार खनिज विभाग में रॉयल्टी एवं डी.एम.एफ.टी. की कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गयी :–

क्र.स.	खनिज का नाम	मात्रा (घन मीटर में)	घनत्व (टन/ घन मीटर)	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति टन)	रॉयल्टी राशि (रूपयों में)	डी.एम.एफ. टी (रॉयल्टी का 10 प्रतिशत)	कुल राशि (रूपयों में)
1	पत्थर	1327	2.6	3450.2	35.00	120757.00	12076.00	132833.00
2	मलबा	2694	2.2	5926.00	35.00	207438.00	20744.00	228182.00
					कुल योग	328195.00	32820.00	361015.00

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सीकर उपरोक्त सडक के निर्माण के दौरान पहाड की कटाई से निकलने वाले कुल 4021 घन मीटर मलबा एवं चिनाई पत्थर निकलेगा। इसमें से 1327 घन मीटर पत्थर एवं 2694 घन मीटर मलबा निकलेगा। 1327 घन मीटर पत्थर सडक निर्माण में काम लिया जायेगा तथा 2694 घन मीटर मलबा वन क्षेत्र से 10 किमी. दूरी पर हर्ष ग्राम की गैर वन भूमि में निस्तारण करवाया जायेगा।

(प्रहलादसिंह)
अधिशाषी अभियंता,
सा.नि.वि. खण्ड–सीकर